

प्रेमक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

संवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पचकूली।

यादि क्रमांक 108-व-5-2015/7041
चण्डीगढ़ दिनांक 21/4/2015

विषय:

Diversion of 0.0134 ha. of forest land for access to retail outlet of H.P.C.Ltd. along Firozpur Jhirka-Biwan road, km 12.861, L/side, at village Biwan, under forest division, District, Mewat-Nuh, Haryana (D-III-6237) .

संदर्भ:

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6237/8 दिनांक 01.04.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।


2 विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.0134 है० वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि०) लेखा संख्या S.B.O 1025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (कैम्पा-हरि०) लेखा संख्या एस०बी० 344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाये।

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपलना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा ओ०एस०डी० तदर्थ कैम्पा से राशि जमा होने की पुष्टि भी करवाई जाए ताकि मामले आगामी कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार की अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।


विशेष सचिव, 21/4/15

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।


22/4/15 प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं० 24, रौक्टर 31 ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, मेवात।